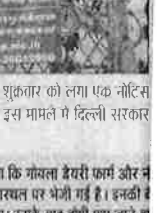

स्थान: आगरा
तिथि: 27 जुलाई, 2018

[illegible]
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ICSI M. No.: A22603

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा

[illegible]

1.	आवेदक कंपनी का नाम	[illegible]
2.	आवेदक कंपनी के शामिल होने की तिथि	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	24.07.2018
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	नाम: [illegible] आईबीबीआई पंजीकरण सं.: [illegible]
9.	[illegible]	पता: [illegible] ईमेल: [illegible]
10.	[illegible]	पता: [illegible] ईमेल: [illegible]
11.	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]
14.	(ए) [illegible] (बी) [illegible]	[illegible]

[illegible]

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.07.2018

हस्ता/-
[illegible]

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) [illegible] के 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

तथा

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की योजना के मामले में

तथा

मामले में :

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, टॉवर-1, [illegible], 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है
...आवेदक कंपनी-1/अंतरक कंपनी

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली-110070 में है
...आवेदक कंपनी-2/अंतरिति कंपनी-1

तथा

भारती हैक्साकॉम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली-110070 में है
...आवेदक कंपनी-3/अंतरिति कंपनी-2

भारती एयरटेल लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक के आयोजन हेतु अधिकरण की सूचना का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 14 जून, 2018 (**"आदेश"**) के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (**"अधिकरण"**) की माननीय प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (अंतरिति कंपनी-1) के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, अंतरिति कंपनी-1 तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना (**"योजना"**) पर विचार किया जाए तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

[illegible]

दिनांक: 27 जुलाई, 2018
स्थान: नई दिल्ली

भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
ह/-
रोहित कृष्णा पुरी
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

कार्यकारी पुष्कर जैन [illegible]

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए) [illegible] के 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

तथा

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की योजना के मामले में

तथा

मामले में :

टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, टॉवर-1, [illegible], 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 में है
...आवेदक कंपनी-1/अंतरक कंपनी

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली-110070 में है
...आवेदक कंपनी-2/अंतरिति कंपनी-1

तथा

भारती हैक्साकॉम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली-110070 में है
...आवेदक कंपनी-3/अंतरिति कंपनी-2

भारती एयरटेल लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के आयोजन हेतु अधिकरण की सूचना का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 14 जून, 2018 (**"आदेश"**) के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (**"अधिकरण"**) की माननीय प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (अंतरिति कंपनी-1) के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत टाटा टेलीसर्विसिस लिमिटेड, अंतरिति कंपनी-1 तथा भारती हैक्साकॉम लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना (**"योजना"**) पर विचार किया जाए तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

[illegible]

भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
ह/-
रोहित कृष्णा पुरी
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: 27 जुलाई, 2018
स्थान: नई दिल्ली

आ गया है और चाहे [illegible] खेल का प्राणघातक खेल है और इसमें दो प्रतिद्वंद्वी रिवाल्वर के छह खानों में से तीन में गोलियां भर के खुद पर चलाते हैं। किस खाने की गोली है इसका अनुमान मुश्किल है। इसलिए एक का मरना तय है। लंदन में बरसों से यह खेल उदय प्रताप सिंह (संजय दत्त) इस खेल में माहिर है और अपने कई प्रतिद्वंद्वियों को ऊपर भेज चुका है। भारत लौटने के बाद उसकी आखिरी बाजी साहब यानी आदित्य

का फायदा [illegible]

वैसे, माही गिल के चेहरे पर भी उम्र ने दस्तक दे दी है। तिग्मांशु ने सोहा अली खान के चरित्र [illegible] जगह दी है। 'साहिब बीवी और गैंगस्टर 3' उस तरह दमदार नहीं है जैसी कि इस शृंखला की पहली दो फिल्में थीं। फिल्म में एक संवाद है "जब नाम के अलावा कुछ न बचा हो तो नाम को बचा बचा के चलना चाहिए।" शायद निर्देशक ने फिल्म में इसी का खयाल रखा है।

गोशाला में 36 गायों क

मामले की जांच के लिए जिले के विशेष विकास

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

छावला के घुम्मनहेड़ा गांव की एक गोशाला में शुक्रवार 36 गायों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को शुक्रवार दोपहर करीब 12:10 बजे दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि 20 एकड़ में फैली गोशाला के अंदर पानी भरा हुआ है और कीचड़ के बीच गायें मृत अवस्था में हैं। 1995 में बनी गोशाला सरकार और लोगों के दान की रकम से संचालित होती है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अल्फोंस के मुताबिक मामले की छानबीन के लिए जिले के विशेष विकास आयुक्त कुलदीप सिंह गंगर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी गई है। इसमें पशु चिकित्सक भी शामिल हैं। यह टीम गोशाला का दौरा करेगी और गायों की मौत के कारणों का पता लगाएगी।

गोशाला में है 1400 से अधिक गायें

उपायुक्त के मुताबिक घुम्मनहेड़ा गांव में आचार्य सुशील गोसदन ट्रस्ट के नाम से यह गोशाला संचालित है। यहां 1400 से अधिक गायें हैं और 20 लोग काम करते हैं। बावजूद इसके गोशाला के अंदर गंदगी और मच्छरों के अलावा कीचड़ फैला है। बारिश से गोशाला में पानी भर गया है। माना जा रहा है कि कीचड़ और उचित

DCP SOUTH WEST
NEW DELHI

नजफगढ़ स्थित गोशाला के बाहर शुक्रवार को लगा एक नोटिस बोर्ड। यहां 36 गायें मृत मिली थीं। इस मामले में दिल्ली सरकार ने जांच का आदेश दिया है।

कार्रवाई एवं चिकित्सकों की टीम

उपायुक्त ने बताया कि गोयला डेयरी फार्म और न
एक टीम घटनास्थल पर भेजी गई है। इनकी
जाएगा। उसके बाद दोषी पाए जाने क

बेरोजगारी के खिलाफ 31 को आंदोलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

बेरोजगार युवाओं के लिए 'अनएम्प्लॉयड यूथ एकता मंच' की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर हर दस मिनट में एक युवा खुद को बेरोजगारी के खिलाफ चल रही मुहिम से जोड़ रहा है। मंच के अध्यक्ष जगप्रवेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई को मंच तालकटोरा स्टेडियम में बेरोजगार युवाओं का विराट सम्मेलन बुला रहा है, जहां उनके बीच शिखर संवाद होगा। जगप्रवेश ने कहा कि 31 जुलाई का सम्मेलन देश के इतिहास में एक घटना के रूप में दर्ज होगा।

लोकप्रिय बाजारों से जुड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन (लाइन-सात) का दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस-लाजपत नगर खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार को शुरू हो गया। तीसरे चरण के 59 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क शिव विहार कॉरिडोर का यह 8.10 किलोमीटर लंबा खंड अब यात्री सेवाओं के लिए तैयार है।

आइएनए मेट्रो स्टेशन का दृश्य।

मजलिस पार्क से दुर्गा
देशमुख साउथ कैंपस खंड
एक हिस्सा पहले से ही च
कर दिया गया है। नया
शुरू होने से शहर के खरीद

आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा शख्स

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 जुलाई।

आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर शुक्रवार को एक शख्स कनॉट प्लेस के एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। शख्स की पहचान उमा महेश रेड्डी (25) के रूप में हुई है। इसकी सूचना सुबह करीब 11:45 बजे पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर नई दिल्ली जिला पुलिस के आला अधिकारी और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उमेश नाम का शख्स जिस टावर पर चढ़ा था, वहां से चंद कदम की दूरी पर ही दिल्ली अग्निशमन विभाग का मुख्यालय है। दमकलकर्मियों को भी मौके पर तैनात कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी के मुताबिक, शख्स के हाथ में एक बैनर था, जिस पर लिखा था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की जरूरत है। शख्स ने पुलिस को बताया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर किसी केंद्रीय मंत्री के आने के बाद ही नीचे उतरेगा।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
(ग्रीन इंडिया मिशन शाखा)
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
Office Phone: 0755-2524305, Fax: 0755-2763390, Email:apccfgim@mp.gov.in

जी.आई.एम./2018/219 भोपाल, दिनांक 23/07/2018

NOTICE FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

[illegible] "Procurement Consultant-cum- Financial Expert" [illegible] www.mpforest.gov.in [illegible] 13.08.2018 [illegible] 17.00 बजे तक है।

Sd/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(ग्रीन इंडिया मिशन)
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

G-16696/18

महिला हेल्प लाईन
1090/ MPeCOP मोबाईल एप/डायल 100